न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी – सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र संख्या 5 सन् 2022 निर्णय दिनांक: 14.02.2022

सवाईसिंह पुत्र रामेश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 5 राजगढ़ जिला चूरू (राज.)

– **प्रार्थी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी, चूरू

– **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 451, 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता।

उपस्थिति :–

श्री नन्दराम राहड़, वकील – प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सी.आर.पी.सी. की धारा 451 व 457 के तहत प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया कि राजगढ़ थाना में प्रथम सूचना संख्या 362/2021 अपराध अधिनियम अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी. एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। प्रार्थी के नाम से वाहन पिकअप सं0 आर.जे. 10 जीबी 3930 पुलिस थाना राजगढ़ द्वारा जब्तशुदा है। प्रार्थी ने अपना वाहन किराये पर वा ठेके पर जोगेन्द्र नाम के व्यक्ति को दे रखी थी। प्रार्थी के वाहन में किसी प्रकार का अवैध डीजल का कोई लाना ले जाना नहीं किया गया। प्रार्थी के वाहन को किसी अन्य वाहन के ड्राईवर जो कि प्रार्थी से प्रतिस्पर्धा रखता है उसकी झूठी शिकायत के आधार पर प्रार्थी के वाहन में खाली ड्रमों को डीजल से भरा होना बता कर उक्त वाहन को गैरकानूनी तरीके से जब्त किया गया। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित जांच पूर्ण हो चुकी है उक्त वाहन पुलिस थाना राजगढ़ में रहने पर वाहन के रंग रोगन में कमी आ जायेगी जिससे उसकी कीमत मे कमी आयेगी। प्रार्थी उक्त जब्त शुदा वाहन पिकअप आर.जे. 10 जीबी 3930 को न्यायालय में या अन्य किसी विभाग आदि के समक्ष पेश करने को आदेश दिया जाएगा तो प्रार्थी उक्त वाहन मय कागजात न्यायालय के आदेशानुसार पेश कर देगा एवं आदेश की पालना करने के लिए तत्पर रहेगा। अतः प्रार्थी को वाहन पिकअप सं0 आर.जे. 10 जीबी 3930 को सुपुर्दगी पर दिया जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 07.1.2022 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना राजगढ़ से प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई।

दिनांक 14.02.22 को थानाधिकारी पुलिस थाना, राजगढ़ की तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई कि पुलिस कान्सटेबल द्वारा सूचना मिली की करबा राजगढ़ मे खेमाणा रोड़ के पास रिको एरिया में जोगेन्द्र पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी राधा बडी हाल मोहता कॉलेज के पास करबा राजगढ़ अपने बाड़े मे अवैध रूप से मिलावटी डीजल का भण्डारण रखता है एवं यहां से आस – पास के ईलाको मे पिकअप गाडीयों से सप्लाई करता है। उक्त सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा जहां बाड़े में 15 सफेद रंग की प्लास्टिक की टंकी व चार पिकअप गाडियां थी तथा कोई चालक उपस्थित नहीं था। चारों पिकअप में से एक के पास एक सफेद रंग की प्लास्टिक की टंकी रखी थी जिसके पीछे की तरफ एक पम्प सेट जैसी मशीन लगी थी।

जिला कलक्टर
चूरू

बाड़े में मिलावटी डीजल की बू आ रही थी। प्लास्टिक की 16 टंकियों को चैक किया जिनमें से 07 टंकियों में डीजल भरा हुआ था तथा 08 टंकिया खाली थी। 07 प्लास्टिक की टंकियों में लगभग 14000 लीटर डीजल भरा हुआ था। एक प्लास्टिक की टंकी में से पारदर्शी पाईप लगा कर पाईप एक fuel dispenser pump set में लगा हुआ था जिसमें एक मीटर लगाकर मीटर पास खड़ी पिकअप गाड़ी रजिस्ट्रेशन नम्बर एच आर 61 डी 8851 में रखे प्लास्टिक के ड्रम में लगा हुआ है। पिकअप गाड़ी रजिस्ट्रेशन नम्बर एच आर 61 डी 8851 को चैक किया गया तो पिकअप गाड़ी की बॉडी में 08 प्लास्टिक के ड्रम रखे हुए थे प्रत्येक ड्रम के दो – दो ढक्कन लगे हुए थे प्लास्टिक के ड्रमों को चैक किया तो 04 प्लास्टिक के ड्रमों में भरे हुए पदार्थ से डीजल की बू आ रही थी व 04 प्लास्टिक के ड्रम खाली थे। प्रत्येक ड्रम करीब 200 लीटर क्षमता का है जिसमें करीब 800 लीटर भरा हुआ था। खाली प्लास्टिक के ड्रमों में से एक ड्रम में फ्यूल dispenser pump set लगा हुआ मीटर लगा हुआ था। पिकअप गाड़ी रजिस्ट्रेशन नम्बर एच.आर. 61 डी 4846 को चैक किया गया तो पिकअप गाड़ी की बॉडी में 05 प्लास्टिक के ड्रम रखे हुए है जिनको चैक किया तो सभी पांचो प्लास्टिक के ड्रम खाली थे। जिनमें से डीजल जैसी बू आ रही थी। पिकअप गाड़ी रजिस्ट्रेशन नम्बर एचआर 61 डी 9818 को चैक किया गया तो पिकअप गाड़ी की बॉडी में 04 प्लास्टिक के ड्रम रखे हुए थे जिनको चैक किया तो सभी चारों प्लास्टिक के ड्रम खाली थे जिनमें से डीजल जैसी बू आ रही थी। पिकअप गाडी रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 10 जीबी 3930 को चैक किया गया तो पिकअप गाड़ी की बॉडी में 04 प्लास्टिक के ड्रम रखे हुए है जिनको चैक किया तो सभी चारों प्लास्टिक के ड्रम खाली है जिनमें से डीजल जैसी बू आ रही थी। जोगेन्द्र के बाड़े मे उक्त मिलावटी डीजल विक्रय करने व भण्डारण करने का लाईसेंस परमीट पूछा तो कोई लाईसेंस/परमिट नही मिला तथा प्लास्टिक की 07 टन्कीया व प्लास्टिक के 05 ड्रम मे भरे कुल 14800 लीटर डीजल में मिलावटी डीजल भरा हुआ था। जोगेन्द्र पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी राघा बडी हाल मोहता कॉलेज के पास कस्बा राजगढ़ द्वारा इतनी अधिक मात्रा में अवैध मिलावटी डीजल अपने कब्जा में रखना व विक्रय करना जुर्म धारा 3/7 ई .सी. एक्ट. (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में पाया जाना प्रमाणित है। महिन्द्रा पिकअप गाडी न. आर जे. 10 जीबी 3930 के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रकरण में वाहन के संबंध मे कोई अनुसंधान शेष नही है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुए कहा कि प्रार्थी सुपुर्दगीदार वाहन का पंजिकृत मालिक व स्वामी है। प्रार्थी का वाहन में कोई अवैध डीजल नही मिला है। प्रार्थी के वाहन से किसी प्रकार की तफतीश बकाया नही है। प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना राजगढ़ में खुले स्थान पर खड़ा हुआ है जो कि खड़ा रहने से उसके टायर ट्यूब व मशीनरी खराब होने की पूरी–पूरी आशंका है। अतः प्रार्थी के वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने की कृपा करें।

पुलिस थाना राजगढ़ की तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। चूंकि उक्त वाहन के थाने में खड़ा रहने पर नुकसान होने की सम्भावना है। पुलिस थानाधिकारी राजगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 14.2.2022 के अनुसार वाहन पिकअप महिन्द्रा पिकअप गाडी न. आर जे. 10 जीबी 3930 के संबंध में व वाहन मालिक से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। ऐसे मे वाहन को थाना पर खड़ा रखे जाने का कोई औचित्य नही है।

नं. आर.जे. 10 जीबी 3930 के संबंध में व वाहन मालिक से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। ऐसे में वाहन को थाना पर खड़ा रखे जाने का कोई औचित्य नही है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की ओर से निम्न शर्तों के तहत 50/– रूपये के स्टाम्प पर 3,00,000/–(तीन लाख रूपये) का सुपुर्दगीनामा व 3,00,000/–(तीन लाख रूपये) का जमानतनामा पेश किये जाने पर सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा तस्दीक किया जाये।

शर्तें–

1. प्रार्थी उक्त वाहन का न्यायालय से निर्णय होने तक किसी व्यक्ति को बेचान व स्थानान्तरण नहीं करेगा।
2. प्रार्थी वाहन के रंग–रोगन का न्यायालय की स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं करेगा।
3. न्यायालय द्वारा जब भी वाहन को तलब किया जावे तो प्रार्थी स्वंय के खर्चे पर वाहन को न्यायालय में हाजिर रखेगा।
4. इसी प्रकार के अपराध में वाहन का प्रयोग लिया गया तो सुपुर्दगी व जमानतनामा निरस्त समझे जायेगें और वाहन को पुनः कब्जे में लिया जा सकेगा।

उपरोक्त शर्तो के अध्यधीन प्रार्थी वाहन मालिक श्री सवाईसिंह पुत्र रामेश्वरसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 5 राजगढ़ जिला चूरू (राज.) को वाहन पिकअप महिन्द्रा पिकअप गाड़ी नं. आर.जे. 10 जीबी 3930 के सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। थानाधिकारी पुलिस थाना, राजगढ़ को तद्नुसार पत्र जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर, चूरू